# न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

**पीठासीन अधिकारी :- एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.**

**प्रकरण संख्या 212/2011 (उदयपुर डिक्री)**

1. मु0 नाथी बेवा वरदा जी डांगी, निवासी कीकावास, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
2. मोतीलाल पिता वरदा जी डांगी, निवासी कीकावास, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
3. धर्मचन्द पिता वरदा जी डांगी, निवासी कीकावास, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
4. नानालाल पिता वरदा जी डांगी, निवासी कीकावास, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती सोवनी (पिता वरदा जी) पत्नी देवा जी डांगी, निवासी धमानिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
6. श्रीमती भोली (पिता वरदा जी) पत्नी लोगर जी डांगी, निवासी मोरजायी, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
7. श्रीमती वरजू (पिता वरदा जी) पत्नी देवा जी डांगी, निवासी खेड़ली, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
8. श्रीमती सम्मा (पिता वरदा जी) पत्नी मांगू जी डांगी, निवासी धमानिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

................ अपीलान्टगण

**बनाम**

1. किशोर पिता पीथा जी डांगी मृतक के बजाय :-

1/1. रामलाल पिता किशोर जी डांगी, निवासी कीकावास, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

1/2. नारायण पिता किशोर जी डांगी, निवासी कीकावास, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

1/3. मांगीलाल पिता किशोर जी डांगी, निवासी कीकावास, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

2. पेमा पिता कन्ना जी डांगी, निवासी कीकावास, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
3. भमरू पिता प्रथा जी डांगी, निवासी कीकावास, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
4. देवीलाल पिता प्रथा जी डांगी, निवासी कीकावास, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

5. रूपलाल पिता प्रथा जी डांगी, निवासी कीकावास, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

................ रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा – 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर
दिनांक 12–09–2011 प्र.सं. 276/09

–––/–––

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री ओंकारलाल डांगी अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री हुक्मीचन्द सांगावत अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1
3– श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक रे.सं.4

–––::–––

**निर्णय** **दिनांक 11–12–2017**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कीकावास में वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित परिशिष्ट (क), (ख), (ग), (घ) व (च) में वर्णित भूमियां निम्नानुसार हैं :–

परिशिष्ट (क)

आराजी नंबर 671/2, 672/1, 672/2, 673/1 कुल किता 4 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा स्थित होकर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में वादी के नाम 1/2 हिस्से एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के नाम 1/2 हिस्से से अंकित है।

परिशिष्ट (ख)

आराजी नंबर 375, 671/1, 684, 685/1, 685/2, 686, 687/1, 843, 844, 865, 888, 889, 893 कुल किता 13 रकबा 36 बीघा 17 बिस्वा स्थित होकर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में वादी के नाम 1/3 हिस्से, प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पिता कन्ना व प्रतिवादी संख्या 3 से 6 के नाम 1/3 हिस्से से अंकित है।

परिशिष्ट (ग)

आराजी नंबर 646 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा स्थित होकर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम हिस्सा बराबर से अंकित है।

परिशिष्ट (घ)

आराजी नंबर 673/2क, 687/2क कुल किता 2 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा स्थित होकर वादी के नाम पर अंकित है।

परिशिष्ट (च)

आराजी नंबर 877/2क रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा स्थित होकर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अंकित है।

उक्त परिशिष्ट (क) में वर्णित आराजियात में वादी का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का 1/2 हिस्सा है। परिशिष्ट (ख) में वर्णित आराजियात में वादी का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 6 का 1/3 हिस्सा है। परिशिष्ट (ग) में वर्णित आराजियात में वादी का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा है। परिशिष्ट (घ) में वर्णित आराजियात सम्पूर्ण वादी की है। परिशिष्ट (च) में वर्णित आराजियात में वादी का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा होकर उपरोक्त भूमियां संयुक्त खाते में दर्ज चली आ रही हैं। उक्त भूमियों का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है एवं मीट्स एण्ड बाउण्ट्स विभाजन किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि परिशिष्ट (ख), (ग), (च) में जो हिस्से वादी व प्रतिवादीगण के बताये हैं वे सही हैं, लेकिन परिशिष्ट (क) में अंकित आराजियात खरीद शुदा होकर वादी किशोर का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 वरदा का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 6 का 1/4 हिस्सा है। इसी प्रकार परिशिष्ट (घ) में अंकित आराजियात भी खरीद शुदा है, जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा है एवं मौके पर इसी अनुसार काबिज है। परिशिष्ट (क) व (घ) के अलावा वादी वाद पत्र अनुसार विभाजन कराये जाने के लिए स्वतंत्र है।

साथ ही काउण्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि परिशिष्ट (क) में अंकित कुल किता 4 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा वादी एवं प्रतिवादीगण की खरीदशुदा होकर वादी किशोर का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 वरदा का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 6 का 1/4 हिस्सा है तथा पक्षकारान इसी अनुसार काबिज है। इसी प्रकार परिशिष्ट (घ) में अंकित आराजियात

कुल किता 2 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की खरीदशुदा है, जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा है एवं मौके पर इसी अनुसार काबिज है। अतएवं काण्उटर क्लेम स्वीकार किया जाकर परिशिष्ट (क) में अंकित कुल किता 4 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 1 को 1/4 हिस्से का एवं परिशिष्ट (घ) में अंकित आराजियात कुल किता 2 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 1 को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे।

उक्त काउण्टर क्लेम का वादी द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जवाबदावे एवं काउण्टर क्लेम में वर्णित समस्त कथन मिथ्या एवं मनगढ़न्त है। अतएवं प्रतिवादी संख्या 1 का काउण्टर क्लेम खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्लीडिंग्स के आधार पर दिनांक 23—08—2006 को निम्नानुसार 4 तनकियात कायम की :—

1. आया वादी वाद पत्र की कलम संख्या 1 के परिशिष्ट (क), (ख), (ग), (घ), (च) में वर्णित भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 हिस्से अनुसार बंटवाड़ा कराने का अधिकारी है ? ......... वादी
2. आया वाद की कलम संख्या 1 के परिशिष्ट (क) में अंकित आराजी नंबर 671/2, 672/1, 672/2, 632/1 किता 4 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा भूमि वादी व प्रतिवादीगण की खरीदशुदा होकर इस भूमि में वादी का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 से 6 का 1/2 हिस्सा होकर इसी अनुसार खातेदारी हक से घोषित कराने के अधिकारी हैं ? .......... प्रतिवादी संख्या 1
3. उक्त वाद वर्णित आराजियात आराजी नंबर 673/2क, 687/2क किता रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा भूमि में 1/2 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 1 खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने का अधिकारी है ? ....... प्रतिवादी संख्या 1
4. दादरसी ?

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपने निर्णय दिनांक 12—09—2011 से वादी का वाद प्रारम्भिक डिक्री करते हुए प्रतिवादी संख्या 1 का काउण्टर क्लेम खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर

अपीलान्ट (प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान) द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 24—10—2011 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर वकील श्री हुक्मीचन्द सांगावत उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 राज्य सरकार की ओर से औपचारिक पक्षकार श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

इस न्यायालय में दिनांक 23—02—2016 को वकील अपीलान्ट द्वारा आदेश 41 नियम 27 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर उसके साथ विक्रय पत्र अज उदा पिता केला जाट बहक पीथा वल्द जगाजी पीसर, किशोर जी, वरदा जी डांगी दिनांक 11—06—1957 पंजीकृत विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की तथा निवेदन किया कि उक्त दस्तावेज की काफी तलाश की गयी, लेकिन पता नहीं चला। असल दस्तावेज रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पास ही रह गया, जो रेस्पोन्डेन्ट ने पेश नहीं किया। अब पुराने रेकार्ड को ढुंढवाकर उसकी नकल प्राप्त कर प्रस्तुत की जा रही है। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

उक्त आवेदन के खण्डन का जवाब रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1/1 से 1/3 ने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जो दस्तावेज प्रस्तुत किया जा रहा है वह वादग्रस्त भूमि से संबंधित नहीं है, जिसे रेकार्ड पर नहीं लिया जा सकता। इस दस्तावेज से निर्णय में किसी प्रकार की मदद नहीं मिलेगी मात्र अदालत को गुमराह करने के दृष्टिकोण से उक्त दस्तावेज प्रस्तुत किया जा रहा हैं अतएवं आवेदन खारिज किया जावे।

→ हमारे द्वारा उक्त दस्तावेज का अवलोकन किया गया तथा आवेदन वर्णित कारणों को भी देखा गया। हालांकि उक्त दस्तावेज वाद

वर्णित आराजियात के जो वर्तमान नंबर है, उसके अनुसार नहीं है, फिर भी आराजी नंबर 673 के 1½ बीघा रकबे से सम्बन्धित है। अतएवं उक्त दस्तावेज को रेफर करने के दृष्टिकोण की हद तक उसे रेकार्ड पर रखे जाने की अनुज्ञा दी जाती है।

प्रकरण में जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, वकील अपीलान्ट का प्रमुख उजर यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के काउण्टर क्लेम में परिशिष्ट (क) की आराजियात में अपीलान्ट का 1/4 हिस्सा तथा परिशिष्ट (घ) की आराजियात में अपीलान्ट का 1/2 हिस्सा नहीं होना मानने में भूल की है। मौखिक साक्ष्यों में स्वयं वादी किशोर ने अपनी जिरह में यह कहा है कि विवादग्रस्त भूमि में जितना हिस्सा मेरा है उतना ही हिस्सा वरदा का भी है। अन्य मौखिक साक्ष्यों ने भी अपीलान्ट के पक्ष में गवाही दी है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा काउण्टर क्लेम स्वीकार नहीं किये जाने में त्रुटि की है, जबकि वादी का एडमिशन है। अधिनस्थ न्यायालय ने तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्ष की बहस एवं अपीलान्ट द्वारा लिये गये विभिन्न उजरात पर मनन किया तो यह पाया कि परिशिष्ट (क) की आराजियात 671/2, 672/1, 672/2, 673/1 कुल किता 4 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा भूमि में वादी राजस्व रेकार्ड में 1/2 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 6 1/2 हिस्से के सहखातेदार दर्ज हैं। आश्चर्य जनक रूप से वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने अपने वाद पत्र में उक्त भूमि में स्वयं का 1/2 हिस्सा होना तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का 1/2 हिस्सा होना बताया है, जबकि हस्ब रेकार्ड वरदा का उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा दर्ज नहीं है। किन्तु इसके विपरीत प्रतिवादी संख्या 1 वरदा ने काउण्टर क्लेम प्रस्तुत कर विवादित आराजियात में वादी का 1/2 हिस्सा तथा स्वयं का 1/4 हिस्सा होने का कथन किया है तथा भूमि किशोर व वरदा द्वारा शामलात क्रय किया जाना बताया है। हालांकि अधिनस्थ न्यायालय में कोई विक्रय पत्र प्रस्तुत नहीं हुआ है, परन्तु इस न्यायालय में जो विक्रय पत्र प्रस्तुत हुआ है उसमें आराजी नंबर 673 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा में 1½ बीघा भूमि किशोर व वरदा द्वारा शामलात क्रय किये जाने का वर्णन है। यहां यह स्पष्ट होता है कि आराजी नंबर 673/1 परिशिष्ट (क) में अंकित है तथा यह भूमि विक्रय पत्र वर्णित

भूमि ही है, इस बाबत् सुनिश्चितता पूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आराजी नंबर 673 का कुल रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा है, जिसमें से परिशिष्ट (क) की आराजी नंबर 673/1 का रकबा 1 बीघा दर्ज है तथा परिशिष्ट (घ) में आराजी नंबर 673/2क का रकबा 1½ बीघा दर्ज है, परन्तु यहां पर परिशिष्ट (क) में आराजी नंबर 673/1 रकबा 1 बीघा तथा परिशिष्ट (घ) में आराजी नंबर 673/2क रकबा 1½ बीघा अर्थात कुल 2½ बीघा का केसर वादी अन्य सहखातेदारों के साथ दर्ज रेार्ड है। अर्थात आराजी नंबर 673 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा में से ही यह 1½ बीघा भूमि क्रय की गयी है, यह सुनिश्चिता पूर्वक नहीं कहा जा सकता।

वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा आश्चर्य जनक रूप से परिशिष्ट (क) की भूमियों में अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा होना व्यक्त किया है, जबकि राजस्व रेकार्ड में उसका हिस्सा वर्णित नहीं है। वहीं यह भी अत्यन्त आश्चर्य जनक है कि परिशिष्ट (घ) की भूमि जो कि अकेले वादी के नाम दर्ज है, उसके बावजूद विभाजन के वाद में उसे क्यों शामिल किया गया है, इस बाबत् भी कोई स्पष्टीकरण नहीं है। जब भूमि वादी अकेले के नाम दर्ज है तो उसे विभाजन के वाद में शामिल किये जाने एवं पक्षकार बनाये जाने का कोई औचित्य नहीं है तथा प्रतिवादी द्वारा भी 1/2 हिस्से का काउण्टर क्लेम प्रस्तुत करना प्रथम दृष्टया संदेह उत्पन्न करता है। पेश शुदा विक्रय पत्र से निर्णायक रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि परिशिष्ट (क) एवं (घ) की भूमियों में प्रतिवादी/अपीलान्ट द्वारा वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के साथ क्रय किया जाकर उसका 1/2 हिस्सा हो। उक्त क्रय संवत् 2014 वर्ष 1957 में किया गया है, जिसे अरसा हो चुका है, 60 वर्ष बाद अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा काउण्टर क्लेम पेश किया जाना स्वयं में संदेह उत्पन्न करता है। हालांकि घोषणा के वाद के लिए कोई अवधि विहित नहीं है।

प्रकरण में हम यह भी पाते हैं कि कुल 3 तनकियात कायम की गयी है, जिसमें से तनकी नंबर 1 विभाजन बाबत् है तथा तनकी नंबर 2 व 3 प्रमुखता प्रतिवादी/अपीलान्ट के काउण्टर क्लेम से संबंधित हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी नंबर 1 के संबंध में विभाजन का वाद डिक्री किये जाने का स्पष्ट उल्लेख किया है तथा राजस्व रेकार्ड अनुसार विभाजन किये जाने की अनुज्ञा दी है तथा तनकी नंबर 2 व 3 जो मूलतः परिशिष्ट (क) व

(घ) की भूमियों बाबत् है, में अपीलान्ट/प्रतिवादी द्वारा 1/2 हिस्सा क्रय किये जाने बाबत् भी विवेचन किया है। हालांकि प्रकरण में तनकीवार निर्णय नहीं किया गया है, परन्तु मौलिक एवं तथ्यात्मक रूप से तनकी नंबर 2 व 3 पर अपनी स्पष्ट फाईडिंग दी है। हम अपीलान्ट के इस तथ्य से सहमत नहीं हैं कि मौखिक साक्ष्यों के द्वारा प्रतिवादी/अपीलान्ट के पक्ष में सहमति दी गयी है। प्रथमता तो मौखिक साक्ष्यों का स्वत्व घोषणा में कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं होता, द्वितीयता सहमति से अधिकारों का सृजन नहीं होता। अधिकारों का सृजन सिर्फ विधि के अनुक्रम में ही हो सकता है। सहमति के आधार पर स्वत्व का हस्तान्तरण नहीं किया जा सकता। तद्नुसार मौखिक साक्ष्यों बाबत् अपीलान्ट द्वारा उठाया गया उजर कोई महत्व नहीं रखता है।

प्रकरण में तनकीवार निर्णय नहीं किये जाने की बाध्यता इस प्रकरण में सुसंगत नहीं है, क्योंकि तनकियों पर मौलिक विवाद पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सुस्पष्ट निर्णय कर दिया गया है। अतएवं तनकीवार विवेचन की कोई विधिक आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मूल विवाद के निस्तारण पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सुस्पष्ट व्याख्या कर दी गयी है।

समग्र रूप से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रेकार्ड अनुसार विवेचन कर जो निर्णय पारित किया गया है, उसमें हक किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 12—09—2011 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 11—12—2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(एल.एन. मंत्री)**
**भू—प्रबन्ध अधिकारी**
**एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी**
**उदयपुर**

# डिगरी व सीगे अपील

**(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)**

**(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)**

अज अदालत............**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.........मुकाम..............**उदयपुर**............
व इजलास ..............................**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** ...........................................

**मु0 नाथी बेवा वरदा जी डांगी, नि0 कीकावास, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर व अन्य** बनाम **किशोर मृतक के बजाय रामलाल पिता किशोर जी डांगी, निवासी कीकावास, तह. वल्लभनगर व अन्य**

अपील नं.............**212/2011**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**........
...........**वल्लभनगर**.......... मुकाम..............मुवर्खे.............**12**...........माह..............**09**.............**2011**

## दावा बाबत

यह अपील व तारीख........**11**.....माह........**12**.......सन् **2017** रूबरू........**पक्षकारान** व हाजरी...**श्री ओंकारलाल डांगी** ....मिनजानिब अपीलान्ट व .........**श्री हुक्मीचन्द सांगावत** ............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि......... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 12–09–2011 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.......)........रूपये .... **X**...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... **X** ...................................अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.........**11**......माह.......**12**...........**2017** को जारी किया गया ।

**(एल.एन. मंत्री)**
**भू–प्रबन्ध अधिकारी**
**एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी**
**उदयपुर**

## खर्चा अपील

| अपीलान्ट | रू0 | पै0 | रेस्पोन्डेन्ट | रू0 | पै0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. स्टाम्प अपील ... .........<br>2. स्टाम्प वकालत नामा .....<br>3. इजराय हुक्मनामा .......<br>4. वकील फीस बाबत .........<br>मीजान ..... | | | 1. स्टाम्प वकालत नामा...<br>2. स्टाम्प अर्जी ...............<br>3. इजराय हुक्मनामा .....<br>4. मेहनताना वकील...........<br>मीजान ..... | | |

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।